



**कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन बिलासपुर (छ.ग.)
नूतन चौक, सरकांडा बिलासपुर (छ.ग.)**

फोन:-07752-493536 web : www.cghealth.nic.in Email-urbanhbsp@gmail.com

क्र./शहरी स्वास्थ्य/2022/ 300८

बिलासपुर, दिनांक 23/3/22

प्रति,

अतिरिक्त कलेक्टर,
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्द्रहवें वित्त आयोग सत्र 2021-22 हेतु Health Grants के अधीन शहरी स्वास्थ्य संस्था बिलासपुर (UHWC) में संविदा आधार पर विभिन्न पदों की भर्ती वॉक् इन इंटरव्यू के माध्यम से किये जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।

— ००० —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि पन्द्रहवें वित्त आयोग सत्र 2021-22 हेतु Health Grants के अधीन शहरी स्वास्थ्य संस्था बिलासपुर (UHWC) में संविदा आधार पर Staff Nurse, MPW (M), Jr. Secretarial Assistant, Class4 के पदों की भर्ती वॉक् इंटरव्यू के माध्यम से किये जाने हेतु दैनिक समाचार पत्रों एवं जिले की वेबसाईट www.bilaspur.gov.in में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है।

अतः विज्ञापन सूची जिले की वेबसाईट www.bilaspur.gov.in में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

**मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बिलासपुर छ.ग.**

पृ.क्रमांक/शहरी स्वास्थ्य/2022/ 300९

बिलासपुर, दिनांक 23/3/22

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संचालनालय, ब्लॉक क्रमांक 1, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल नया रायपुर की सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त नगर निगम बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
6. संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
7. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
8. जिला सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. कलेक्टरेट परिसर जिला बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यालयीन प्रति।

**मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बिलासपुर छ.ग.**

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर (छ.ग.) (राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जिला बिलासपुर)

क्र./शहरी स्वास्थ्य /2022/

30/3

बिलासपुर, दिनांक

23/3/22

संविदा भर्ती हेतु वॉक् इन इंटरव्यू

संयुक्त संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/NHM/HR/2022/NS-1637/3703 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24.02.2022 द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु हेत्य ग्रांट के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वीकृत पदों हेतु दिये गये निर्देश के परिपालन में आर.ओ.पी. वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत नवीन पद के विरुद्ध संविदा नियुक्ति हेतु निम्न तालिका में दर्शित नवीन संविदा पदों पर वॉक्-इन-इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रिक कर कौशल परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित कर जिला आरक्षण रोस्टर अनुसार दिनांक 04.04.2022 से 11.04.2022 तक विभिन्न तिथियों में पदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यार्थियों को उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया जाता है। पदवार रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है—

आवेदन पत्र प्राप्ति का प्रकार

- निर्धारित प्रालप में संलग्नकों के साथ वॉक् इन इंटरव्यू/ कौशल परीक्षा तिथि को ही उपस्थित होकर जमा किया जाना है।
- सुबह 8.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक
- दोपहर 1.00 बजे तक
- दोपहर 2.00 बजे से 4.00 बजे तक
- सायं 4.30 बजे से
- दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात 5.00 बजे अथवा आवेदन संख्या अधिक होने पर आगामी तिथि को प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक कौशल परीक्षा ली जावेगी।

स्थान - सेन्ट्रल लाइब्रेरी, नूतन चौक सरकारी बिलासपुर (छ.ग.)

वाक् इन इंटरव्यू/ कौशल परीक्षा हेतु रिक्तियों का विवरण (परिशिष्ट "अ") -

क्र.	पदनाम	वेतनमान	कुल पदों की संख्या	श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण				योग्यता	वाक् इन इंटरव्यू तिथि एवं समय प्रातः 8.00 बजे से
				अनारक्षित	अजजा	अजा	अपिव		
1	Staff Nurse	16500/-	14	7	3	2	2	1. B.Sc. Nursing/ Post Basic B.Sc. Nursing OR 2. General Nursing and Midwifery (GNM) with CG Nursing Council Registration (Final Merit List Prepared On the Basis of Order of Priority, Like 1&2)	04.04.2022
								Must have passed Higher Secondary Examination (10+2) examination with Biology subject and	
								One year Diploma in Multipurpose Worker Training or equivalent training from training center recognized by the state Government with registered in Chhattisgarh Paramedical Council.	
2	MPW (M)	14000/-	14	7	3	2	2		06.04.2022

3	Jr. Secretarial Assistant	12000/-	14	7	3	2	2	12th passed with at least 01 year computer diploma from Government Recognised Institution	08.04.2022
4	Class 4	10000/-	14	7	3	2	2	10th passed	11.04.2022

उपरोक्त मानव संसाधनों की भर्ती निम्नांकित नियमों को ध्यान में रखकर किया जावेगा—

1. यह नियुक्तियाँ पन्द्रहवें वित्त आयोग के अधीन होगी। अतः समस्त कर्मचारी पन्द्रहवें वित्त आयोग के होंगे।
2. उक्त भर्ती में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जावे तथा समय—समय पर जारी अन्य निर्देश / आदेश / नियम यथा संशोधित लागू होंगे।
3. यह नियुक्ति संविदा आधार पर एक वित्तीय वर्ष के लिये होगी, जो कि पूर्णतः अस्थाई होगी। नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। वार्षिक कार्य मूल्यांकन संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जावेगी।
4. यह नियुक्तियाँ वार्षिक कार्यमूल्यांकन के आधार पर अधिकतम 05 वर्ष के लिये होगी तथा पन्द्रहवें वित्त आयोग की कार्यावधि के अनुसार निर्धारित होगी।
5. भर्ती जिला स्तर पर गठित जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से किया जायेगा।
6. भर्ती उपरांत चयनित अन्यार्थियों को मानदेय का भुगतान पन्द्रहवें वित्त आयोग के Health Grants के अधीन देय होगा तथा किसी भी परिस्थिति में निर्धारित मानदेय से अधिक मानदेय नहीं दिया जायेगा।
7. उपरोक्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं मानदेय संलग्न परिशिष्ट “अ” अनुसार होगा।
8. पन्द्रहवें वित्त आयोग अंतर्गत भर्ती किये गये कर्मचारियों के समस्त दस्तावेजों का संधारण पृथक से किया जाना होगा।
9. भर्ती के सम्बन्ध में परिशिष्ट ‘ब’ में दिये गये दिशा—निर्देशों का पालन किया जाना है।

विज्ञापन एवं भर्ती हेतु अन्य आवश्यक दिशा—निर्देश (परिशिष्ट “ब”)

1. उपरोक्त पत्र में उल्लेखित पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं मानदेय संलग्न परिशिष्ट “अ” अनुसार भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जावे।
2. संविदा मानदेय— संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता / सुविधा देय नहीं होगा।
3. उक्त संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होगी। आयु की गणना अनुबंध वर्ष के दिनांक 01 जनवरी 2022 अनुसार की जावेगी। इस आयु सीमा में सभी प्रकार की छूट सम्मिलित है।
4. संविदा भर्ती के संदर्भ में आरक्षण व अन्य शर्ते राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के सभी नियम व शर्तों के अनुसार लागू होंगे।
5. भर्ती हेतु आवेदन के लिये निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नानुसार लिया जाना होगा—

संवर्ग	शुल्क का विवरण
विकलांग / अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला	100
अन्य पिछड़ा वर्ग	200
अनारक्षित वर्ग	300

- 4.1 आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकूत बैंक से "NUHM DISTRICT HOSPITAL BILASPUR" के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि बिलासपुर में देय होगा, डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति वॉक्-इन-इंटरव्यू दिनांक को अन्यार्थी के द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से शुल्क देय मान्य नहीं होगा।
6. आवश्यकतानुसार साक्षात्कार / कौशल परीक्षा उपरांत चयनित/प्रतीक्षा सूची के अन्यार्थियों की सूची कार्यालयीन नोटिस बोर्ड / जिले की वेबसाइट <http://bilaspur.gov.in> में उपलब्ध कराई जावेगी।
7. आवश्यकतानुसार वाक् इन इंटरव्यू में होने वाले साक्षात्कार / कौशल परीक्षा जिला मुख्यालय में ली जावेगी, जिसमें शामिल होने वाले अन्यार्थियों को कोई भी व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।

8. वॉक्-इन-इंटरव्यू के दौरान जमा किये जाने वाले अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जावेगे।
9. विज्ञापित पद अनुरूप चयन प्रक्रिया हेतु वाक् इन इंटरव्यू अथवा लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा/ साक्षात्कार का आयोजन बांधनीय अर्हता की मेरिट सूची के आधार पर किया जावे।
10. शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।
11. विज्ञापन में प्रकाशित शैक्षणिक योग्यता के कम के अनुसार भर्ती में चयन हेतु प्राथमिकता दी जावे।
12. प्राप्त आवेदनों में से नवीन पदों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा/ साक्षात्कार/ चयन हेतु आहूत किया जावेगा—

तालिका

कं.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा/ साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना
3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 3 गुना

13. लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा/ साक्षात्कार हेतु प्रावीण्य सूची—

- 13.1 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/ स्नातकोत्तर) के सभी वर्षों के प्राप्तांको के प्रतिशत का – 65 प्रतिशत
- 13.2 अनुभव 10 / 15 अंक संबंधित पदों से सम्बंधित ही मान्य किये जावेगे। (एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 03 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक)
- 13.3 अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से सम्बंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से सम्बंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जावे।
- 13.4 अवर सचिव छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आदेश पत्र पृकं. एफ. 1-67/2021/सत्रह/एक नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07.12.2021 के तहत दिये गये आदेश के परिपालन में केवल कोरोना वैशिक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्ति एवं 06 माह से लगातार सेवा देने वाले एस.डी.आर.एफ./डी.एम.एफ./सीएसआर मद अंतर्गत कार्यरत अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी का अनुभव मान्य किया जावेगा (चयन समिति द्वारा अनुमोदित)।

14. अंतिम चयन सूची –

- 14.1 पात्र अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं लिखित/ कम्प्यूटर बेस्ड कौशल परीक्षा/ साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर किया जावेगा।
- 14.2 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/ स्नातकोत्तर) के सभी वर्षों के प्राप्तांको के प्रतिशत का 65 प्रतिशत।
- 14.3 अनुभव 10 / 15 अंक संबंधित पदों के ही मान्य किये जावेगे। (एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक)
- 14.4 अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से सम्बंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
- 14.5 कौशल परीक्षा-20 अंक (पद के अनुरूप लिखित/ कम्प्यूटर बेस्ट/ साक्षात्कार आदि के स्वरूप में कौशल परीक्षा ली जावेगी।
- 14.6 कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के कुल अंको का 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है। 40 प्रतिशत अंक अर्जित करने की दशा में उम्मीदवारों को अपात्र माना जावेगा।
- 14.7 अंतिम प्रावीण्य सूची निर्धारित अनिवार्य मूल शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांको के प्रतिशत का 65 प्रतिशत अंक, अनुभव के अंक तथा कौशल परीक्षा में प्राप्तांको के जोड़ के आधार पर तैयार की जावेगी। जहां पर शैक्षणिक योग्यता प्राथमिकता कम में दर्शित हो वहां पर अंतिम चयन हेतु प्रावीण्य सूची अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में दर्शित प्राथमिकता कम के अनुसार ही रहेगी।
- 14.8 उक्त भर्ती में संबंधित जिले के पात्र मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जावेगा तथा संबंधित जिले में पात्र मूल निवासी नहीं भिलने की स्थिति में राज्य के अन्य जिलों के पात्र अभ्यर्थियों को मेरिट कमानुसार प्राथमिकता दिया जावेगा।
- 14.9 पद कमांक 04 (चतुर्थ वर्ग) प्रवीण्य सूची (शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत) के आधार पर चयन किया जावेगा।

15. प्रतीक्षा सूची— उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन मर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद/ त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।
16. दावा आपत्ति हेतु अभ्यार्थियों को एक निश्चित समय दिया जावेगा, आवेदन में त्रुटियों की स्थिति में राज्य/ जिला स्तर पर समितियां इन दावा आपत्ति का निराकरण कर निर्णय लेंगी, तथा दावा आपत्ति एवं पात्र अभ्यार्थियों की सूची जारी करेगी। चयन समिति अभ्यार्थियों की संख्या के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन की तिथि का निर्धारण कर सकेंगी। दावा आपत्ति के तिथि के पश्चात् किसी भी दावा/ आपत्ति को स्वीकार/ मान्य नहीं किया जायेगा।
17. अभ्यार्थियों को आनलाईन/ लिखित/प्रायोगिक परीक्षा, संबंधी जानकारी विमाणीय वेबसाईट में समय—समय पर उपलब्ध कराया जावे।
18. अभ्यार्थियों को सत्यापित निम्न दस्तावेज की छायाप्रति के साथ मूल दस्तावेज भी प्रमाणीकरण हेतु वॉक्-इन-इंटरव्यू के दौरान प्रस्तुत करने होंगे—
- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) अंकसूची
 - सम्बंधित पद हेतु निर्धारित चूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
 - संबंधित पद हेतु निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची
 - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि/प्रमाण पत्र
 - सक्षम अधिकारी द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र
 - कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
 - विशेष छूट हेतु प्रमाण पत्र
 - अन्य आवश्यक दस्तावेज
19. उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरांत भी किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।
20. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जावेगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
21. 01 से अधिक पदों में भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग—अलग आवेदन एवं शुल्क (डी.डी. के माध्यम से) जमा करना होगा।
22. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/ वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जावे।
23. उक्त संविदा पद अस्थानांतरण होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावे।
24. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है अथवा संविदा कर्मचारी द्वारा किसी कारणवश यदि संविदा अवधि के दौरान त्यागपत्र दिया जाना हो तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी को एक माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह के संविदा मानदेय के समतुल्य राशि जमा करना होगा।
25. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यार्थियों को स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
26. वॉक् इन इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित या राजपत्रित अधिकारी के द्वारा सत्यापित कर चिपकाएं।
27. उपरोक्त पदों पर आवेदन के साथ वांछित योग्यता प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से 1. शैक्षणिक योग्यता, 2. अनुभव सम्बंधी प्रमाण पत्र, 3. जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, 4. रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, 5. स्वयं के द्वारा सत्यापित या राजपत्रित अधिकारी द्वारा छायाप्रतियां अनिवार्यतः संलग्न करें एवं संलग्न नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त किये जाने का अधिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को होगा।
28. दावा आपत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन में नाम एवं अंको की त्रुटि में ही सुधार किया जावेगा। नये दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा।
29. अभ्यर्थी को वाक् इन इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
30. शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थी को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र वॉक्-इन इंटरव्यू के दौरान साक्षात्कार/ कौशल परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई स्वीकृति प्रस्तुत आवेदन के साथ करना होगा।

31. चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीदवारों को बाण्ड भरना होगा कि वे अन्य जगह पर आवेदन करने के लिये सम्बंधित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेंगे।
32. उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्याओं पर अंतिम निर्णय का अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर (छ.ग.) का होगा। जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
33. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के सम्बंध में विचार नहीं किया जावेगा। प्रत्येक आवेदकों को चाहिए कि विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी प्रकार की जानकारी देखकर एवं सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो अपूर्णता के आधार पर आवेदक का आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।
34. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थिति में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
35. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का Performance Appraisal नियंत्रण अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।
36. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अहर्ताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगे।
37. आवेदत पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकारी प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त नवीन पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया / मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
38. चयन प्रक्रिया किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी माध्यम से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस सम्बंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
39. आरक्षण – जिले में प्रचलित रोस्टर पद्धति के अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू किया जावेगा।
40. अनुभव प्रमाण पत्र – यह केवल शासकीय संस्था, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं का मान्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा कार्यालयीन जावक कमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा। पद से सम्बंधित कार्यक्षेत्र का ही अनुभव मान्य होगा।
41. अनुभव में अंकों की गणना एक संस्था में एक पद पर 12 माह पूर्ण होने पर ही एक वर्ष का अंक दिया जावेगा। 12 माह से कम अनुभव होने पर अंकों की गणना नहीं की जावेगी।
42. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की दशा में नियोक्ता द्वारा समान सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात सेवा समाप्ति का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी को होगा। सेवा समाप्ति के लिये एक माह के पूर्व सूचना या एक माह का वेतन भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
43. संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति उपरांत कदाचरण करने अथवा किसी अपराधिक वित्तीय अनियमितता संबंधी कृत्य में लिप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
44. वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में 40 से कम अंक प्राप्त होने पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की सेवा, प्रत्येक स्तर पर सक्षम अधिकारी द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
45. वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी किये जाने कि स्थिति में कारण अनिवार्य रूप से अंकित किया जावेगा अन्यथा प्रतिकूल टिप्पणी मान्य नहीं होगा।
46. संविदा समाप्ति के पश्चात कर्मचारी को समस्त फाईल, रिकार्ड, चाबी एवं अन्य सुविधाएं व सामग्री जो कार्यालय की सम्पत्ति होगी, वापस करना अनिवार्य होगा।
47. किसी भी संविदा कर्मचारी द्वारा बिना किसी सूचना के अनुमति प्राप्त किये बिना अथवा बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित रहने पर 30 दिवस या अधिक पूरे वित्तीय वर्ष में अनाधिकृत अनुपस्थिति होने की दशा में सेवा से पृथक किया जावेगा।
48. उक्त कर्मचारियों हेतु शासन द्वारा निर्धारित 18 दिवस के आकस्मिक अवकाश व 03 दिवस के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही शासन के नियमानुसार मातृत्व अवकाश एवं शासन द्वारा पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।
49. उक्त नियुक्ति का चयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्तरीय चयन समिति (NUHM) द्वारा किया जावेगा। चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि घोषित चयन परिणाम में अंकण/टंकण/मुद्रण/प्रक्रिया संबंधी त्रुटि ध्यान में आती है तो चयन समिति के पास संधारित मूल डाटा के आधार पर चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति किसी भी स्तर पर मान्य नहीं होगा।
50. आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के निर्णय अनुसार अन्य निर्देश व शर्तें लागू की जा सकती हैं।

Rawat

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला— बिलासपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम—..... एवं पद कमांक

आवेदित वर्ग का नाम

प्रति,

मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला— बिलासपुर, छत्तीसगढ़

स्व हस्ताबिरित
पोस्ट साइज
फोटो

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में) :

2. पिता/पति का नाम :

3. माता का नाम :

4. (अ) जन्म तिथि (अंको में) : वर्ष..... माह..... दिनांक.....
(ब) आयु 1 जनवरी 2022 की स्थिति में : वर्ष..... माह..... दिन.....

5. जाति (सामान्य/अनुजाति/जनजाति/अ.पि.वर्ग): (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. लिंग (पुरुष/महिला/अन्य) :

7. आधार संख्या :

8. छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है या नहीं : (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

9. क्या आप विकलांग श्रेणी के हैं—हाँ/नहीं :
9.1 विकलांगता का प्रतिशत एवं प्रकार :
9.2 भूतपूर्व सैनिक हॉ/नहीं :

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. स्थायी निवास का पता :

9 वर्तमान पत्र व्यवहार का पता :

मोबाइल नं.: दूरभाष नं.:
ई-मेल आईडी:

10 रोजगार कार्यालय का नाम :
जीवित पंजीयन कमांक एवं दिनांक :

11. आवेदन शुल्क —

संवर्ग	शुल्क का विवरण
विकलांग / अ.जा. / अ.ज.जा. / महिला	100
अन्य पिछड़ा वर्ग	200
अनारक्षित वर्ग	300

(आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक से NUHM DISTRICT HOSPITAL BILASPUR के नाम से डिमाण्ड ड्राप्ट जो कि विलासपुर में देय होगा, डिमाण्ड ड्राप्ट की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। डिमाण्ड ड्राप्ट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से शुल्क देय मान्य नहीं होगा)

12. बैंक ड्राप्ट का विवरण : डी.डी. कमांक..... दिनांक.....
बैंक का नाम..... राशि.....

13. शैक्षणिक योग्यता :— (वांछित शैक्षणिक योग्यता का ही विवरण भरा जावे)

शैक्षणिक योग्यता की जानकारी गलत/अदूरा भरा जाने पर आवेदन निरस्त किया जावेगा।

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा के सभी वर्षों का पूर्णांक	उत्तीर्ण परीक्षा के सभी वर्षों का प्राप्तांक	प्रतिशत

14. अनुभव :— (शासकीय अनुभव का ही विवरण भरा जावे)

संस्था का नाम	पदनाम	कार्यक्षेत्र	अनुभव अवधि

15. क्या आप विवाहित है । (हॉ/ नहीं) :.....

16. संलग्न स्व अभिप्राणित प्रमाणपत्रों की सूची व संख्या (अम्यार्थियों को समस्त दस्तावेज स्वाअभिप्राणित कर प्रस्तुत करने होंगे) :—

1. दसवीं/बारहवीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण—पत्र
2. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी वर्षों का)
3. कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण—पत्र
4. रोजगार पंजीयन
5. जाति प्रमाण—पत्र
6. मूल निवास प्रमाण—पत्र
7. विकलांग प्रमाण —पत्र
8. भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित प्रमाण—पत्र
9. बैंक ड्राप्ट की मूलप्रति
10. संबंधित कौसिल का पंजीयन प्रमाणपत्र
11. संबंधित क्षेत्र कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
12. अन्य

घोषणा पत्र

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है। जो किसी भी स्थिति में असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जावेगी तथा मर्तीं संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जाएँगे।

स्थान
दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम.....
पूर्ण पता.....